जस्टिस एलपीएन शाहदेव लीगल लिटरेसी क्लब के उद्घाटन पर जस्टिस दवे ने कहा

जो भी काम करें, पूरे दिल से करें

रांची | संवाददाता

शनिवार जेवीएम श्यामली के लिए खास दिन रहा। यहां जस्टिस एलपीएन शाहदेव के नाम से लीगल लिटरेसी क्लब का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल आर दवे।छात्रों ने बैंड और आरती तिलक के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद वह छात्रों के मुखाबित हुए। कहा कि जो भी काम करें, पूरे दिल से करें। उसमें अव्वल रहने की कोशिश करें।

कभी मैं भी था शिक्षक : बात चल पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय ने जस्टिस दवे से कहा कि यह स्कूल शहर के बेहतरीन स्कूलों में है। आलम यह है कि दिल्ली में रहने पर भी यहां दाखिले की पैरवी सुननी पड़ती है। यह बात अलग है कि स्कूल इन सब चीजों से बचा हुआ है। वहीं जस्टिस अनिल दवे ने कहा कि वह भी शिक्षक रह चुके हैं। उन्होंने एलएलबी, एलएलएम के छात्रों को पढ़ाया है।

जस्टिस एलपीएन शाहदेव के नाम पर है क्लब : क्लब की कॉर्डिनेटर सुषमा पांडेय ने बताया कि इस लीगल लीटरेरी क्लब का नाम जस्टिस एलपीएन शाहदेव के नाम पर रखा गया है। वह जेवीएम श्यामली की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य थे। अब यहां झालसा के सदस्य 11वीं और 12वीं के छात्रों को कानून की जानकारी देंगे। छात्र समय समय पर गांवों में जाकर जागरुकता भी फैलाएंगे। यहां उनके साथ झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस डीएन पटेल, मेकन से सीएमडी एके त्यागी, जेवीएम श्यामली के वाइस चेयरमैन पीके सिंह, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन निलेश कुमार, चेयरमैन राजीव रंजन, जेवीएम के प्राचार्य एके सिंह, उप प्राचार्य एसके घोष, यूएस महतो, एसके झा, भाजपा नेता प्रतुल शाहदवे सहित कई अन्य शिक्षक - शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

जेवीएम श्यामली में शनिवार को लीगल लिटरेसी क्लब का उद्घाटन करते जस्टिस अनिल आर दवे। • हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान
17/7/16

विवाद सुलझाने का बेहतर विकल्प है मध्यस्थता

झारखंड हाइकोर्ट के नए परिसर में शनिवार को पौधारोपण करते चीफ जस्टिस।

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा है कि विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। इन माध्यमों में मध्यस्थता काफी सशक्त और सरल माध्यम है। वह शनिवार को न्याय सदन डोरंडा में झालसा के मध्यस्थता पर राज्यस्तरीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।

जस्टिस ठाकुर ने कहा कि झालसा राज्य में बेहतर काम कर रहा है। इसके कार्यक्रमों और स्कीम काफी लोकप्रिय हैं और लोगों को काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों के पास दुख- तकलीफ रहेगा तब तक झालसा जैसी संस्थाएं काम करती रहेंगी और इनका महत्व बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मध्यस्थतों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एआर दवे, एके सिकरी, आर बानुमति ने भी मध्यस्थता पर अपनी बात रखी। कहा कि वैकल्पिक माध्यमों के उपयोग से अदालतों का बोझ कम किया जा सकता है। मध्यस्थता के मामलों की अपील भी नहीं की जा सकती। इस कारण न्याय पाने का सस्ता और सुगम माध्यम है। समारोह में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह, जस्टिस डीएन पटेल समेत अन्य जज और वकील उपस्थित थे।

ऑनलाइन उद्घाटन

रांची। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने रांची से खूंटी जिला मध्यस्थता केंद्र का ऑनलाइन उदघाटन किया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जज और अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।

दैनिक भास्कर
17-7-16

दैनिक भास्कर 17-7-16

कॅरियर बनाने से पहले अच्छा इंसान बनें सभी बच्चे : जस्टिस एआर दवे

जस्टिस शाहदेव लीगल लिटरेसी क्लब हॉल का किया उद्घाटन

सिटी रिपोर्टर | रांची

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एआर दवे ने शनिवार को जेवीएम श्यामली स्कूल परिसर में जस्टिस एलपीएन शाहदेव मेमोरियल लीगल लिटरेसी क्लब हॉल का उद्घाटन किया। मौके पर स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति दवे ने कहा कि बच्चों को अपना कॅरियर बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। यही जिंदगी की सफलता की कड़ी है।

जेवीएम में लीगल लिटरेसी क्लब हॉल का उदघाटन करते जस्टिस दवे।

क्लब हॉल के उद्घाटन अवसर पर जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस प्रकाश टांटिया, जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय, मेकन के सीएमडी एके त्यागी, जेवीएम श्यामली के प्राचार्य एके सिंह और जस्टिस शाहदेव के पुत्र प्रतुल शाहदेव विशेष रूप से उपस्थित थे। जस्टिस शाहदेव जेट के चेयरमैन बनने से पूर्व जेवीएम श्यामली के मैनेजिंग कमेटी के 10 वर्षों तक सदस्य रहे थे।

इस लीगल लिटरेसी क्लब हॉल में बच्चों को लॉ की परीक्षा की तैयारी के बारे में समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। झालसा द्वारा भी यहां लॉ से जुड़े कार्यक्रम एवं आयोजन किए जाएंगे।

साथ ही यहां लॉ से जुड़ी पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग छात्र प्रतियोगिता परीक्षा या कानून के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कर सकेंगे।

राँची एक्सप्रेस
17.7.16

चीफ जस्टिस ने रखी न्याय सदन की आधारशिला

रांची: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने निर्माणाधीन झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में झालसा के नये भवन न्याय सदन की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के नये परिसर का निरीक्षण भी किया एवं नये परिसर में पौधा भी लगाया।

दैनिक जागरण
17/7/16

सर्वोच्च न्यायालय में अपील आम आदमी के वश में नहीं

दैनिक जागरण 17-7-16

राज्य ब्यूरो, रांची : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) जस्टिस टीएस ठाकुर के अनुसार न्याय प्रक्रिया के विकल्प के रूप में 'मध्यस्थता' (मेडिएशन) न केवल आम आदमी, बल्कि न्यायाधीशों और अदालतों को भी राहत पहुंचाती है। मुकदमों के बोझ से अदालतों के दबे होने के कारण लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। आम आदमी के लिए उच्च या सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाना उसके वश की बात भी नहीं। ऐसे में यह विकल्प न्याय प्रक्रिया का सर्वोत्तम साधन साबित हो सकता है।

झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज (झालसा) द्वारा मध्यस्थता पर शनिवार को आयोजित राज्य स्तरीय कान्क्लेव को मुख्य अतिथि के रूप में

◆ मध्यस्थता पर आयोजित कान्क्लेव में बोले जस्टिस ठाकुर

संबोधित करते हुए सीजेआइ ने मध्यस्थों (मेडिएटरों) के कार्यों की सराहना की। कहा कि उनका काम भगवान या जज के काम से कम नहीं है। यदि मध्यस्थता के क्रम में कभी नाकामी मिले तो हताश न हों, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी कौरव और पांडवों के बीच मध्यस्थता करने में नाकामी मिली थी। उन्होंने अदालतों के बोझ पर कहा, देश भर के न्यायालयों के जज प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ मुकदमे देखते हैं, जिनमें 2 करोड़ नए व 3 करोड़ पुराने होते हैं। जजों की संख्या कम होने के कारण दस लाख केस प्रत्येक वर्ष बढ़ जाते हैं।

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर दवे तथा एके सिकरी ने सुंदर उदाहरणों के साथ मध्यस्थता को न्याय की बेहतर प्रक्रिया बताया। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा कि मेडिएशन की सबसे बड़ी विशेषता शीघ्र और निश्शुल्क न्याय मिलना है।

Pioneer
17/7/16

Pioneer 17-7-2016

Need more judges for speedy justice: CJI

MUKESH RANJAN ■ RANCHI

Chief Justice of India (CJI) TS Thakur once again stressed on increasing the strength of Judges in various courts in the country, saying it a voice of people to ensure them justice in the minimum possible time and not for granting more leisure time to the judges.

Chief Justice Thakur was addressing a gathering of mediators at Nyaya Sadan here during a state-level conclave on mediation.

"There are around 5 crore pending cases in the country out of which 2 crore cases are decided by the judges. Hence, I have seen scarcity of judges very closely and have also made honest efforts for increasing their strength," said the Chief Justice of India. "This is not a demand made by the judges only, but it is the right of the people so that they get speedy justice and do not have to wait for long for it," he added.

CJI Justice TS Thakur being welcomed by Executive Chairman JHALSA Justice DN Patel (L) during State-Level Conclave on Mediation organised by Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) in Ranchi on Saturday Ratan Lal I Pioneer

Notably, the CJI had virtually broke down sometime back, while pointing out how the judges' dismal strength was hampering the justice delivery system.

Praising the efforts made by Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) in disposing of the cases through mediation, Justice Thakur further added that as many as two crore cases are decided in the Courts while 1.5 crore cases are disposed of successfully by these mediation centers. He also appealed to the mediators to involve themselves wholeheartedly in their job.

"It is like a movement....you should get associated with it like a Judge as it is beneficial and meaningful as well," added Justice Thakur.

Admiring the efforts made by the state government to promote the development of Institutions in Jharkhand, the Chief Justice of India also added, "Those governments which are always ready to invest in Institutions are supposed to be better governments and I am glad to see that the same is being done in Jharkhand also," he said.

Supreme Court Judge Justice AR Dave also praised the works being done by JHALSA said that the mediators by disposing the cases out of Court are in a way helping the Judges which is really commendable. "Mediation is a good thing, here there is no appeal and both the partners go home happily," said Justice Dave.

Calling mediation as the best form of Justice, SC Judge

Turn to Page 4

Pioneer 17.7.2016

Need more...

From Page 1

Justice AK Sikri said that Mediation in most of the circumstances is the best way of resolving issues... We, even as a Judge, do not achieve things which is sometimes are achieved through it, as mediation in most of the circumstances, is the best method of resolving issues," he said.

Expressing satisfaction over the success rate of JHALSA in disposing of cases thorough mediation, Chief Justice of Jharkhand High Court Virender Singh, on the other hand, said that mediation now has become a tool of law and a part of Alternate Dispute Resolution System.

"Under the Chief Justice of India, we have taken a pledge that we will dispose of all the cases which have gone older than 3 years and we are working hard on that," said the Chief Justice of Jharkhand High Court.

Jharkhand High Court Judge cum Executive Chairman of JHALSA Justice DN Patel expected that they will be able to cross the mark of 50 per cent success rate of mediation in Jharkhand very soon in the coming years.

Later, the Judges of Supreme Court and Jharkhand High Court felicitated the mediators who did commendable jobs in their districts. The list includes the names of Suman Kumar Shrivastava from Ranchi, Naseem Ansari from Lohardaga, Reena Dey from Godda, Lukumuddin Shaikh from Pakur, Anita Verma from Khunti, Anita Chaudhary from Deoghar, Urmila Sharma from Giridih and Rajesh Das from Jamshedpur.The dignitaries also released a book 'Nyaya Dagar' along with seven other booklets.

जेवीएम श्यामली में जस्टिस एलपीएन शाहदेव की स्मृति में कानूनी साक्षरता क्लब का उदघाटन

गुरु से ही अच्छे संस्कार मिलेंगे : जस्टिस दवे

वरीय संवाददाता ▸ रांची

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एआर दवे ने शनिवार को जेवीएम श्यामली में कानूनी साक्षरता क्लब का उदघाटन किया. यह क्लब जस्टिस एलपीएन शाहदेव की स्मृति में खोला गया है. यहां पर विद्यालय के कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को कानूनी सहायता संबंधी जानकारी दी जायेगी. इस मौके पर जस्टिस दवे ने कहा कि बच्चों को गुरु से ही अच्छे संस्कार मिलेंगे. इस तरह के क्लब के गठन से बच्चों में कानूनी समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी. बच्चे कानून की बारीकियां और उससे निबटने के उपायों की जानकारी हासिल कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि इससे बच्चे खुद समझदार बनेंगे और समाज और देश को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे.

कानूनी साक्षरता क्लब का उदघाटन करते जस्टिस एआर दवे.

विद्यालय के प्राचार्य एके सिंह ने कहा कि जेवीएम श्यामली में 49 सौ से अधिक बच्चे हैं. यहां के बच्चे न सिर्फ इंजीनियरिंग और चिकित्सा में, बल्कि क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. मौके पर जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस (सेवानिवृत्त) एसजे मुखोपाध्याय, झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल, मेकन के सीएमडी एके त्यागी, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के राजीव रंजन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष निलेश कुमार, विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष पीके सिंह, स्व जस्टिस एलपीएन शाहदेव के पुत्र प्रतुल शाहदेव आदि मौजूद थे.

Morning India
17/7/16

Morning India 17-7-16

Training of justices and lawyers is important, says CJI

Anurag Thakur

RANCHI: Chief Justice of Supreme Court Teerath Singh Thakur on Saturday said lawyers are integral part of the judiciary system so they must have the knowledge of legal nuances of different sectors. A proper training camp should be organised at a regular interval from time to time to increase their knowledge, said the CJI.

He also said along with the lawyers, the training of justices is also necessary in order to inform and make them aware about legal issues. Justice Thakur also asked all the members of judiciary to hone their knowledge about legal issues of foreign countries.

In a programme hosted jointly by Jharkhand State Bar Council and Bar Council of India on Saturday, the Chief Justice of India layed the foundation of Lawyers' Academy at Doranda and the new premises of Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA) at Dhurwa.

He also attended a national seminar on 'continuing legal education for lawyers and its benefits'. The Chief Justice of Jharkhand High Court Virendra Singh along with members of the State Bar Council and Bar Council of India also attended the seminar. Vice-chairman of the State Bar Council Rajesh Kumar Shukla said the national seminar was organised to focus on the need for regular upgrade of knowledge, particularly among the lawyers who have to deal with a variety of cases.

Justice Thakur along with Justices R Banumathi, AK Sikri and AR Dave also addresses a conclave on Mediation, a fast emerging alternative dispute resolution (ADR) tool for quick justice, at JHALSA premises and a seminar on 'Continuing Education for Lawyers and its Benefits' at State Judicial Academy. Thakur will tomorrow visit Deoghar to offer prayers at Baba Baidyanath Dham temple and would also inaugurate a guest house for the legal officials.

Notably, JHALSA has established 23 district mediation centres across the state and also a Mediation Centre at the Jharkhand High Court in Ranchi. The Authority has inducted Mediators from various fields, including Social Services, Academics, Police Administration, Entrepreneurship, Medical and so and so forth as Subject Specific Expert Mediators. Speaking on the occasion the CJI made the statement. Lawyers' Academy, to be run by the Bar Council of India and State Bar Council and being set up at 34 decimal land allotted by the state government, will be the second such institution in the country. The first academy, to impart professional training to young lawyers and brush up the legal knowledge of lawyers practising in various courts, had earlier come up in Kerala. The Ranchi cradle will impart professional training to the budding lawyers from the eastern region states too.

कार्यक्रम. झालसा के न्याय सदन में मध्यस्थता पर राज्य स्तरीय कनक्लेव, चीफ

शीघ्र न्याय मिलना लोगों का हक

चीफ जस्टिस ने कहा कि देश भर की अदालतों में करीब पांच करोड़ मुकदमों की सुनवाई हो रही है. इसमें दो करोड़ मुकदमे नये हैं. तीन करोड़ पहले से ही लंबित चल रहे हैं. साल में करीब दो करोड़ मुकदमों का निष्पादन ही होता है. इस कारण न्याय मिलने में देरी होती है.

वरीय संवाददाता ▸ रांची

लोगों का हक है कि उन्हें जल्द न्याय मिले. लोगों को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़े, ऐसी स्थिति बनानी होगी. उक्त बातें भारत के चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने कही. वे शनिवार को डोरंडा स्थित झालसा के न्याय सदन सभागार में मध्यस्थता विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कनक्लेव में बोल रहे थे.

चीफ जस्टिस ने कहा कि आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ना मुश्किल है.अदालतों में न्यायाधीशों की कमी है. इसे सरकार को देखना है. न्यायाधीशों की कमी दूर हो. उनकी तादाद बढ़े, ताकि जरूरतमंदों को जल्द न्याय मिल सके. चीफ जस्टिस ने मध्यस्थता पर कहा कि लीगल सर्विसेज का जो सिलसिला चल रहा है, वह अनवरत जारी रहेगा. जब तक इनसान में लालच बना रहेगा, मुकदमेबाजी होगी, तब तक लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी की भूमिका बनी रहेगी. झारखंड में न्याय के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है. राज्य सरकार इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे रही है. झालसा की जो बिल्डिंग बननेवाली है, वह देश के लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी के भवनों में सबसे बेहतर होगा. चीफ जस्टिस ने मध्यस्थता से मामलों के निष्पादन पर जोर दिया. मीडियेटरों का काम किसी जज से कम नहीं है. आप जिन्हें समझाते हैं, तो उन्हें यह भी बतायें कि यदि आप नहीं समझेंगे, तो आगे क्या हो सकता है. नालसा सहित देश के अन्य राज्य ऑथोरिटी मध्यस्थता के माध्यम से 1.50 करोड़ मामले सुलझाते हैं. जो मीडियेटर सफल होते हैं, उन्हें तीन हजार रुपये दिये जाते हैं. यह राशि बढ़ाने की जरूरत है. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पूरे देश में एक लाख पारा लीगल वोलेंटियर बनाये गये हैं. लीगल क्लिनिक में दोस्ताना माहौल बना रहे. लोगों को सरकारी खर्च पर निःशुल्क सलाह दी जाये. गरीबों को न्याय मिले, लोग उसका लाभ उठायें. कार्यक्रम का संचालन उप सचिव संतोष कुमार व अन्य ने किया. धन्यवाद ज्ञापन हाइकोर्ट के जस्टिस पीके मोहंती ने किया. मौके पर हाइकोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन, एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार कश्यप सहित राज्य भर से आये लगभग 50 मीडियेटर व अन्य लोग उपस्थित थे.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा कि झालसा वंडरफुल काम कर रहा है. उन्होंने हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल के प्रयासों की भी सराहना की. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सिकरी ने कहा कि न्यायाधीशों की कमी से मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है. वैसी परिस्थिति में जल्द न्याय पाने में मध्यस्थता का मार्ग सहायक हो सकता है. मध्यस्थता में आपसी सहमति जरूरी है. मामलों में कमी लाने का यह सबसे अच्छा माध्यम है.

झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मध्यस्थता का लाभ उठाना चाहिए. जस्टिस डिलिवरी सिस्टम में मध्यस्थता की भूमिका महत्वपूर्ण बन गयी है. इससे जल्द न्याय मिलता है. ट्रेंड मीडियेटरों की आवश्यकता है. इससे विभिन्न विषयों से जुड़े मामलों के निष्पादन में सफलता मिलती है. झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मध्यस्थता के लिए सेवानिवृत्त आइएएस, आइपीएस, सीए, प्रोफेसर आदि को प्रशिक्षण दिया गया. उन्हें मध्यस्थता करने का दायित्व सौंपा गया. पूरे राज्य में मध्यस्थता से मामले निबटाने में 50 प्रतिशत सफलता मिली है. इसे 60 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य झालसा ने तय किया है. हाइकोर्ट में मध्यस्थता से 67 प्रतिशत सफलता मिली है.

न्याय डगर नामक पुस्तिका का विमोचन इससे पूर्व झालसा की ओर से प्रकाशित न्याय डगर नामक पुस्तिका का चीफ जस्टिस ने विमोचन किया. इस मौके पर मध्यस्थता में बेहतर उपलब्धि हासिल करनेवाले मीडियेटरों को सम्मानित किया गया. इसमें जमशेदपुर के मीडियेटर राजेश दास, गिरिडीह की उर्मिला शर्मा आदि शामिल हैं. चीफ जस्टिस श्री सिंह ने बबन सरखेल व प्रियंका सरखेल को भी सम्मानित किया. झारखंड हाइकोर्ट की पहल से यह परिवार बिखरने से बचा था. इस मौके पर जुवेनाइल जस्टिस के तहत डीएलएसए रांची व जमशेदपुर को उपलब्ध कराये गये वाहनों को रवाना किया गया.

चीफ जस्टिस ने हिंदी में संबोधित किया : मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने राष्ट्रभाषा हिंदी में लोगों को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण के दौरान अंगरेजी के एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया. चीफ जस्टिस श्री ठाकुर शनिवार को झालसा के न्याय सदन में मध्यस्थता पर आयोजित राज्यस्तरीय कनक्लेव को संबोधित कर रहे थे.

बेहतर रिजल्ट देनेवाले मीडियेटरों को किया गया पुरस्कृत

राज्य स्तरीय कनक्लेव को संबोधित करते चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर.

चीफ जस्टिस ने रखी लॉयर्स एकेडमी की आधारशिला

रांची. भारत के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने शनिवार को डोरंडा स्थित झारखंड स्टेट बार काउंसिल मुख्यालय परिसर में प्रस्तावित लॉयर्स एडेकमी की आधारशिला रखी. प्रधान न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिल आर दवे, न्यायाधीश एके सिकरी, न्यायाधीश आर भानुमति, हाइकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश वीरेंदर सिंह, न्यायाधीश पीके मोहंती, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने नारियल फोड़ कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने ईंटें जोड़ कर एकेडमी भवन की नींव रखी और शिलापट्ट का लोकापर्ण किया. मौके पर मणिपुर हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आरआर प्रसाद, इलाहाबाद हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार, गुजरात हाइकोर्ट के जस्टिस पीपी भट्ट, झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीशगण, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एसजे मुखोपाध्याय, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन, उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला, बीसीआइ के उपाध्यक्ष निलेश कुमार, काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष पीसी त्रिपाठी सहित अधिकारी, अधिवक्ता आदि मौजूद थे.

जस्टिस वीरेंदर सिंह व डीएन पटेल की तारीफ की : दोपहर में चीफ जस्टिस ने धुर्वा में निर्माणाधीन झारखंड हाइकोर्ट के नये परिसर में झारखंड लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (झालसा) के नये बिल्डिंग की आधारशिला रखी. उन्होंने कहा कि दो एकड़ में बननेवाला झालसा का यह भवन अगले सौ वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाया जा रहा है. बिल्डिंग काफी खूबसूरत बननेवाली है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की दूरदर्शिता की प्रशंसा की जानी चाहिए. उन्हें बताया गया है कि भवन का निर्माण दो साल में पूरा कर लिया जायेगा. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान व पूर्व जजों के अलावा मणिपुर हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, झारखंड हाइकोर्ट, गुजरात हाइकोर्ट व इलाहाबाद हाइकोर्ट के न्यायाधीशगण आदि उपस्थित थे. चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने बोकारो, खूंटी और दुमका में बननेवाले न्याय सदन सह एडीआर बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया. यह शिलान्यास ऑनलाइन संपन्न हुआ.

खबर मन्त्र
17/7/16

खबर मन्त्र 17-7-2016

झालसा में मध्यस्थता पर राज्य स्तरीय सेमिनार

लोगों का हक है कि मिले तत्काल न्याय : सीजेआइ

रांची। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने कहा कि मुवक्किलों को तत्काल न्याय मिले। उसे तारीख पर तारीख का सामना नहीं करने पड़े। देर से मिलनेवाला न्याय, न्याय नहीं है। लोगों का हक है उन्हें जल्द न्याय मिले। लोगों को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़े, ऐसी स्थिति बनानी होगी। यह हमारा रोना नहीं है, बल्कि आम लोगों का अधिकार है। देश भर की अदालतों में करीब पांच करोड़ मुकदमों की सुनवाई हो रही है। इसमें दो करोड़ मुकदमे नये होते है। तीन करोड़ पहले से ही लंबित चल रहे है। साल में करीब दो करोड़ मुकदमों का निष्पादन भी होता है। न्याय मिलने में देरी होती है। आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ना मुश्किल है। गरीब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं पायेंगे। अदालतों में न्यायाधीशों की कमी है। न्यायाधीशों की कमी को देखा है। उस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसे सरकार को देखना है। न्यायाधीशों की कमी दूर हो, उनकी तादाद बढ़े, ताकि जरूरतमंद लोगों को जल्द न्याय मिल सके। जस्टिस श्री ठाकुर शनिवार को डोरंडा स्थित झालसा के न्याय सदन सभागार में मध्यस्थता विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मध्यस्थता पर कहा कि लीगल सर्विसेज का जो सिलसिला चल रहा है, वह अनवत जारी रहेगा। जब तक इंसानों में लालच बना रहेगा, मुकदमेबाजी होगी, तब तक लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी की भूमिका बनी रहेगी। झारखंड में न्याय क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है। राज्य सरकार इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे रही है। सरकार की ओर से इंस्टीट्यूशन में निवेश करना, सही कदम है। झालसा का जो बिल्डिंग बननेवाला है, वह देश के लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी के भवनों में सबसे बेहतर होगा।

कार्यक्रम का उद् घाटन करते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर।

भगवान श्रीकृष्ण ने कौरव व पांडव के बीच की थी मध्यस्थता : चीफ जस्टिस श्री ठाकुर ने मध्यस्थता से मामलों के निष्पादन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता महाभारत के समय से चली आ रही है। भगवान श्रीकृष्ण ने कौरव व पांडव के बीच मध्यस्थता का काम किया था। मिडिएटरों का काम किसी जज से कम नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण भी नाकाम हुए थे। नाकामी से मायूस नहीं होना चाहिए। आप जिन्हें समझाते है, तो उन्हें यह भी बतायें कि यदि आप नहीं समझेंगे, तो आगे क्या हो सकता है। नालसा सहित देश के अन्य राज्य ऑथोरिटी मध्यस्थता के माध्यम से 1.50 करोड़ मामले सुलझाते है। जो मिडिएटर सफल होते है, उन्हें तीन हजार रुपये दिये जाते है, वह राशि कम है, उसे बढाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में एक लाख पारा लीगल वॉलेंटियर बनाये गये है। लीगल क्लिनिक में दोस्ताना माहौल बना रहे।

जस्टिस शाहदेव लीगल क्लब का उद्घाटन

रांची। सुप्रीम कोर्ट के वरीय न्यायाधीश ए आर दवे ने शनिवार को जेवीएम श्यामली स्कूल के परिसर में जस्टिस एलपीएन शाहदेव मेमोरियल लीगल लिट्रेसी क्लब हॉल का उदघाटन किया। इस अवसर पर जस्टिस दवे ने कहा कि लीगल लिट्रेसी क्लब कानूनी दुर्बलता को दूर करेगा। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि जेवीएम श्यामली के परिसर में इस क्लब का सभी वर्ग लाभ उठा सकते हैं। मालूम हो कि जस्टिस शाहदेव दस वर्षो तक जेवीएम श्यामली के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे। इस मौके पर जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय, मेकॉन के सीएमडी एके त्यागी, प्रावार्य एके सिंह, समाजसेवी प्रतुल शाहदेव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

झालसा कर रहा है बेहतर कार्य : जस्टिस एआर दवे

सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के जज व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा कि मामलों के तेजी से निष्पादन मध्यस्थता का मार्ग बेहतर है। झालसा बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिह व जस्टिस डीएन पटेल के प्रयासों की भी सराहना की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सिकरी ने कहा कि तीन करोड़ मामले लंबित है। न्यायाधीशों की कमी की वजह से मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है। वैसी परिस्थिति में जल्द न्याय पाने में मध्यस्थता का मार्ग सहायक हो सकता है। मध्यस्थता में आपसी सहमति जरूरी है।

मध्यस्थता का लोग उठायें लाभ : सीजे

झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेन्दर सिंह ने कहा कि मुवक्किलों को मध्यस्थता का लाभ उठाना चाहिए। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में मध्यस्थता की भूमिका महत्वपूर्ण बन गयी है। इससे जल्द न्याय मिलता है। ट्रेंड मिडिएटरों की आवशचकता है। इससे विभिन्न विषयों से जुड़े मामलों के निष्पादन में सफलता मिलती है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मध्यस्थता के लिए सेवानिवृत्त आइएएस, आइपीएस, चार्टर्ड एकाउंटेंट, प्रोफेसर आदि को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें मध्यस्थता करने का दायित्व सौंपा गया। पूरे राज्य में मध्यस्थता से मामले निपटाने में 50 प्रतिशत सफलता मिली है।

समाज में वकीलों के प्रति सम्मान बढ़े : सीजेआइ

रांची। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने धुर्वा स्थित ज्यूडिशियल एकेडमी में आयोजित सेमिनार में कहा कि देश में लगभग 20 लाख अधिवक्ता इनरॉलमेंट हैं। एक अधिवक्ता डबल ग्रेजुएट होता है। लेकिन जब शादी-विवाह की बात आती है तो यह वर्ग सबसे पिछले पायदान पर चला जाता है। शादी-विवाह के दौरान लड़की के अभिभावक सबसे पहले एक आइएएस, आइपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी वालों को तलाशते हैं। जब कहीं बात नहीं बनती तो डबल ग्रेजुएट को पूछा जाता है। वकालत एक ऐसा पेशा है जो 20 साल की मेहनत के बाद फल देता है।

सीजेआइ ने झालसा के नये भवन का किया शिलान्यास

रांची। भारत के चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर शनिवार को अपराह्न 3 .30 बजे धुर्वा में निर्माणाधीन झारखंड हाइकोर्ट के नये परिसर में झारखंड लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (झालसा) के नये बिल्डिग की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि दो एकड़ में बननेवाला झालसा का यह भवन अगले 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाया जा रहा है। बिल्डिग काफी खुबसूरत बननेवाली है। झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की दूरदिशता की प्रशंसा की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय सेमिनार | सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा- डॉक्टर-इंजीनियर से कम वकीलों की मैरिज वैल्यू

ज्यादातर वकील वकालत के योग्य नहीं

सिटी रिपोर्टर | रांची

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तीरथ एस ठाकुर ने कहा कि ज्यादातर वकील वकालत करने योग्य नहीं हैं। इसलिए वे दलाली व अवैध रूप से पैसा कमाने में जुट जाते हैं। देश में करीब 20 लाख वकील हैं। लेकिन, इनमें से कितने योग्य हैं। कितनों को कानून की जानकारी है। ग्लोब्लाइजेशन का जमाना है। मल्टीनेशनल कंपनियां लीगल सर्विस के लिए इंडिया की ओर देख रही हैं। यदि, ये कंपनियां इंडिया आती हैं, तो जो वकील अपटूडेट नहीं होंगे, वे बाहर हो जाएंगे। जस्टिस ठाकुर शनिवार को धुर्वा स्थित ज्यूडिशियल एकेडमी में कंटीन्यूइंग लीगल एजुकेशन फॉर लॉयर्स एंड इट्स बेनिफिट्स विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में बोल रहे थे। इसका आयोजन झारखंड स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर किया था।

उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि वकीलों का मैरिज वैल्यू डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईएफएस से काफी कम है। बिहार में आईएएस-आईपीएस की डिमांड सबसे अधिक है। इसके पीछे का प्रमुख कारण है वकीलों के सेलेक्शन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जबकि डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए न्यूनतम 60-70 फीसदी अंक जरूरी है। वकीलों के साथ ऐसी बत नहीं है। कुछ नहीं हुआ, तो वकील बन गए। सीनियर अधिवक्ता के अंदर में ट्रेनिंग लेकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। इस सिस्टम को बदलना होगा।

न्याय सदन, डोरंडा में आयोजित कार्यक्रम में बोलते सीजेआई, साथ में झारखंड के चीफ जस्टिस व अन्य।

वकील खुद अपटूडेट बनें

न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि क्वालिटी लीगल एजुकेशन समय की जरूरत है। इसके लिए खुद वकीलों को अपडेट होना होगा। इस दिशा में लॉयर्स एकेडमी की स्थापना बेहतर कदम है। सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एआर दवे, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस आर बानुमति, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र कुमार सिंह, जस्टिस आनंद सेन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, झारखंड बार काउंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन, कला एवं संस्कृति मंत्री अमर कुमार बाउरी, बार काउंसिल के सदस्य समेत अधिवक्ता, कानून के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड का चेक

न्यायमूर्ति ठाकुर ने रांची में पढ़ाई कर रहे कानून के स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड का चेक सौंपा। इनमें आई मरांडी, अनिल कुमार सिंह, मंजु कुमारी, जिनाली माणिक, संजय कुमार डे, संजय कुमार प्रसाद, जयंत राठौर, सुष्मिता चक्रवर्ती, सौरभ कुमार सिन्हा, संजीत कुमार, क्षितिज किरण शामिल हैं। इससे पूर्व न्यायमूर्ति ठाकुर ने बार पैनोरमा का विमोचन किया।

सीएम के बदले पहुंचे बाउरी : सेमिनार में सीएम रघुवर दास विशिष्ट थे। लेकिन, उनके दिल्ली में होने की वजह से हिस्सा उनके स्थान पर मंत्री अमर कुमार बाउरी शामिल हुए।

बोकारो, दुमका व खूंटी के न्याय सदनों का ऑनलाइन शिलान्यास

आम लोगों को इंसाफ मिले इसलिए जजों की संख्या बढ़नी चाहिए

क्राइम रिपोर्टर | रांची

झालसा की ओर से न्याय सदन, डोरंडा में आयोजित स्टेट लेवल कॉनक्लेव ऑन मीडिएशन में सीजेआई टीएस ठाकुर ने कहा कि आम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए देश में जजों की संख्या बढ़नी चाहिए। इससे लोगों को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि देशभर के न्यायालयों में 5.5 करोड़ मुकदमे हैं। हर साल दो करोड़ नए मुकदमे आते हैं। तीन करोड़ मामले पेंडिंग हैं। हर साल लोक अदालतों व मीडिएशन में डेढ़ करोड़ मामलों का निष्पादन होता है। जजों व मध्यस्थों की भूमिका समान है। मध्यस्थता पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। उसमें मामले ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने मौके पर बोकारो, दुमका और खूंटी में बनने वाले तीन न्याय सदनों का ऑन लाइन शिलान्यास किया।

मीडिएटर्स महत्वपूर्ण : जस्टिस वीरेंद्र

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुकदमों के निबटारे में मीडिएटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुकदमों का डिस्पोजल कम समय में हो, इसका ख्याल रखना होगा। मीडिएटर्स को समझना होगा कि मामले की जड़ तक पहुंच कर उनिबटारा करें, ताकि दोनों पक्षों को संतुष्टि मिले।

संतुष्टि जरूरी : जस्टिस दवे

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिल आर दवे ने कहा कि दोनों पक्षों की संतुष्टि जरूरी है। मीडिएटर दोनों पक्षों का अहम समाप्त कर आपसी सुलह कराते हैं।

बेहतर माध्यम : जस्टिस सीकरी

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि मध्यस्थता न्याय का एक बेहतर माध्यम है। एक अच्छा मीडिएटर एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है।

झारखंड बेहतर : जस्टिस पटेल

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि मध्यस्थता मामले में झारखंड में सफलता दर 50% से ज्यादा है। झालसा की ओर से मध्यस्थता से मुकदमों का निपटारा के लिए टीवी व रेडियो पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।